

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/2431 /

जबलपुर, दिनांक 10/07/2020

II-14-50/2020

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2020 के आलोक में श्रीमती पद्मिनी स्वामी, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 31/05/2020 से सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उक्त तिथि को पात्रतानुसार 156 दिन के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सही/-
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक B/2432 /

जबलपुर, दिनांक 10/07/2020

II-14-50/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक/697/लेखा/2020 इंदौर, दिनांक 09/06/2020 के संदर्भ में श्रीमती पद्मिनी स्वामी, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी का आवेदन पत्र, गणना पत्रक एवं अवकाश लेखा मूलतः वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(किशोर पिठवे)
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) (पी)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/2433 /

जबलपुर, दिनांक 10/07/2020

दो-13-07/2020

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 161/4/31/82/नि-1/चार, दिनांक 31.01.1983 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम /चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 में निहित प्रावधान के अनुसार स्वर्गीय श्रीमती हीरा बाई, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की मृत्यु दिनांक 15/05/2020 को हो जाने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखे में शेष 271 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर उक्त राशि मृतक स्व. श्रीमती हीरा बाई की पुत्री राधा बाई आई टाईप 489 शंकर शाह नगर, रामपुर जबलपुर को भुगतान किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सही/-

(प्रियदर्शन शर्मा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

॥

पृष्ठांकन क्र. B/2434 /

जबलपुर, दिनांक 10/07/2020

दो-13-07/2020

प्रतिलिपि :-

1. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
 2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 3. ए.ओ. (जे.) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 4. सहायक वेतन पत्रक/अवकाश/सेवापुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 6. राधा बाई पुत्री स्व. श्रीमती हीरा बाई पता-आई टाईप 489 शंकर शाह नगर, रामपुर जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(किशोर पिठवे)

ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) (पी)

॥

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

आदेश

क्रमांक B/2435 /

जबलपुर, दिनांक 10/07/2020

II-13-10/2020

स्व. श्री मनोज शर्मा, कोर्ट अटेंडेन्ट को उनके निधन दिनांक 07.01.2020 के पूर्व पदस्थी के दौरान उपभोग किये गये अवकाश दिनांक 20.11.19 से 29.12.2019 तक 40 दिवस का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 30.12.2019 से 06.01.2020 तक 8 दिवस का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

सही/-

(प्रियदर्शन शर्मा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

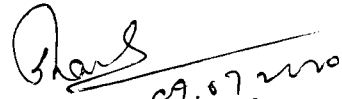
पृष्ठांकन क्रमांक B/2436 /

जबलपुर, दिनांक 10/07/2020

II-13-10/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 2683/स्थापना ग्वालियर, दिनांक 19/06/2020 के संदर्भ में स्व. श्री मनोज शर्मा, कोर्ट अटेंडेन्ट निधन दिनांक 07.01.2020 के पूर्व पदस्थी के दौरान प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 20.11.2019 को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न :-उपरोक्तानुसार।
2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(किशोर पिठवे)

ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) (पी)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/2437 /

जबलपुर, दिनांक 10/07/2020

IV-12-14/80 Pt- VII-P

श्रीमती माधुरी नेमा, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 01.11.2019 से वसूली की कार्यवाही करते हुए गृह भाड़ा भत्ता बंद किया जाता है।

सही / -
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

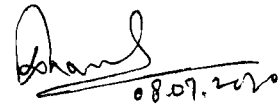
क्रमांक B/2438 /

जबलपुर, दिनांक 10/07/2020

IV-12-14/80 Pt- VII-P

प्रतिलिपि :-

1. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर को इस निर्देश के साथ की दिनांक 01.11.2019 से गृह भाड़ा भत्ता बंद करते हुए नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावे।
5. सहायक अवकाश/सेवापुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
6. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
7. श्रीमती माधुरी नेमा, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(किशोर पिठवे)

ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) (पी)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/2439 /

जबलपुर, दिनांक 10/07/2020

II-14-51/2020

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2019 के आलोक में श्री मुन्ना लाल पाठक, सेवानिवृत्त जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को उनकी सेवानिवृत्त दिनांक 30/04/2020 पर पात्रता अनुसार 210 दिन के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सही / -
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

क्रमांक B/2440 /

जबलपुर, दिनांक 10/07/2020

II-14-51/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 2453/स्थापना ग्वालियर, दिनांक 09/06/2020 के संदर्भ में श्री मुन्ना लाल पाठक, सेवानिवृत्त जूडिशियल असिस्टेंट का आवेदन पत्र, गणना पत्रक एवं अवकाश लेखा मूलतः वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न :- अवकाश लेखा।

2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


08.07.2020
(किशोर पिठवे)
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) (पी)

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/2600 /
दो-14-9/83 बैच

जबलपुर, दिनांक 13 /07/2020

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/1540/दो-14-9/83 बैच जबलपुर, दिनांक 30.06.2020 के अनुक्रमांक दो श्री राहुल सिंह, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर का नाम विलोपित किया जाता है।


(राजेंद्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक D/2601 /
दो-14-9/83 बैच

जबलपुर, दिनांक 13 /07/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0),
 2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) / कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 3. चीफ सिस्टम एनालिस्ट., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
 4. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(एम)(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 7. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 9. श्री राहुल सिंह आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
for

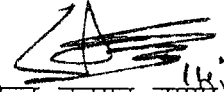
उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/2602 / जबलपुर, दिनांक 13 / 07 / 2020
दो-14-9/83 बैंच

श्री विजयपाल सिंह आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को "माधव महाविद्यालय, ग्वालियर से बी.ए. की परीक्षा में स्वाध्यायी रूप से सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक D/2603 /
दो-14-9/83 बैंच

जबलपुर, दिनांक 13 / 07 / 2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर ज्ञापन क्रमांक 2164/स्था./83/2020 ग्वालियर, दिनांक 20.05.2020 के संदर्भ में।
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) / कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. चीफ सिस्टम एनालिस्ट., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
4. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(एम)(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री विजयपाल सिंह आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(प्रियदर्शन शुक्ल)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Pm

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/2608 /

जबलपुर, दिनांक 13 / 7 / 2020

II-14-97/09

श्री मनोज मालवीय, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को म.प्र. अवकाश नियम 17 एवं नियम 23 के अनुसार दुर्घटना होने से हाथ में फैंक्चर हो जाने के कारण दिनांक 02.03.2020 से 22.05.2020 तक 82 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही/-
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
B

पृष्ठांकन क्रमांक D/2609 /

जबलपुर, दिनांक 13 / 7 / 2020

II-14-97/09

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खंडपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक/अवकाश/723-ए/674/इंदौर, दिनांक 06.06.20 के संदर्भ में श्री मनोज मालवीय, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट का आवेदन पत्र, फार्म नं. 3 एवं 4 मूलतः संलग्न सहपत्र वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
- ✓ 2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
B